भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

A 852774

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DADRI

न्यास – पत्र
(TRUST DEED)

(भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 64 के अन्तर्गत न्यास का घोषणा – पत्र)

स्व0 श्री किशनलाल बाबूजी शिक्षा प्रसार एवं उत्थान ट्रस्ट

मैं सुभाष सिंह पुत्र स्व0 श्री किशनलाल सिंह निवासी मौहल्ला ठाकुरान दादरी, जनपद – गौतमबुद्धनगर (उ0प्र0) संस्थापक – स्व0 श्री किशनलाल बाबूजी शिक्षा प्रसार एवं उत्थान ट्रस्ट आज दिनांक 13–01–2015 को न्यास के इस घोषण पत्र का निष्पादन कर रहा हूँ। पेन कार्ड नं0 BGSPS7673A

मेरी हार्दिक अभिलाषा है कि मानव समाज में सुख शान्ति, सदभावना, धार्मिकता, शिक्षा प्रसार एवं उत्तथान, सदाचार, स्वास्थ्य आदि उत्तम व आदर्श गुणों की स्थापना हेतु एक ट्रस्ट की स्थापना की जाये।

क्र0सं0 24 स्टाम्प विक्रय की तिथि 13/1/15
स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन रा0
स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता सुभाष सिंह पु0 स्व0 किशनलाल सिंह नि0 दादरी
स्टाम्प की धनराशि 500/-
[illegible] किशनलाल
[illegible] 31-3-2015
[illegible] दादरी (गौ0 बु0 नगर)
[illegible] सीमा + 15000/-

यास पत्र

21,000.00	420.00	20	440.00	1,000
न्यास की राशि	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग

श्री सुभाष सिंह
पुत्र श्री स्व0 किशनलाल सिंह
व्यवसाय अन्य
निवासी स्थायी मौ0 ठाकुरान कस्बा दादरी गौ0बुद्व नगर
अस्थायी पता
ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 13/1/2015 समय 3:25PM
वजे निवन्धन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

उप निबन्धक दादरी
दादरी
13/1/2015

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून
न्यासी

श्री सुभाष सिंह
पुत्र श्री स्व0 किशनलाल सिंह
पेशा अन्य
निवासी मौ0 ठाकुरान कस्बा दादरी गौ0बुद्व नगर

ने निष्पादन स्वीकार किया ।
जिनकी पहचान श्री निखिल तौमर
पुत्र श्री सुभाष सिंह
पेशा अन्य
निवासी मौ0 ठाकुरान कस्बा दादरी गौ0बुद्व नगर
व श्री योगेन्द्र सिंह
पुत्र श्री स्व0 किशनलाल सिंह
पेशा अन्य
निवासी मौ0 ठाकुरान कस्बा दादरी गौ0बुद्व नगर
ने की ।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

उप निबन्धक दादरी
दादरी
13/1/2015

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CG 313034

मैं सुभाष सिंह श्री स्व0 श्री किशनलाल सिंह ट्रस्ट का आजीवन संस्थापक न्यासी रहूँगा तथा ट्रस्ट के वर्तमान ट्रस्टियों का विवरण निम्न प्रकार है –

श्रीमती सुमनलता पत्नी श्री सुभाष सिंह निवासी ग्राम – मौहल्ला ठाकुरान दादरी, जनपद–गौतमबुद्धनगर (उ0प्र0)।

क्र0सं0 26/24 स्टाम्प विक्रय की तिथि 13/1/15

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता

स्टाम्प की धनराशि 100/-

गोविन्द ... स्टाम्प विक्रेता

ला0न0-22, ... की ... तिथि-31-3-2015

तहसील कम्पाउण्ड, दादरी (गौ0 बु0 नगर)

सीमा - 15000/-

न्यासी

Registration No.: 10 Year : 2,015 Book No. : 4

0101 सुभाष सिंह

स्व0 किशनलाल सिंह

मौ0 ठाकुरान कस्बा दादरी गौ0बुद्ध नगर

अन्य

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH CG 313033

स्व0 श्री किशनलाल बाबूजी शिक्षा प्रसार एवं उत्थान ट्रस्ट

स्व0 श्री किशनलाल बाबूजी शिक्षा प्रसार एवं उत्थान ट्रस्ट **Late Shri Kishanlal Babuji Shiksha Prasar & Utthan Trust** अभी तक सदस्यता से प्राप्त राशि के माध्यम से केवल कार्यालय व्यय कुछ सामाजिक गतिविधियों जैसे कार्यो तक सीमित थी वे शैक्षणिक चिकित्सा के क्षेत्र में तथा कमजोर, साधनहीन या जरूरतमंद व्यक्तियों विशेषतः विधवाओं, अपंगों व उच्च शिक्षा एवं इस हेतु विदेशों में भेजने आदि में सहयोग करने में वित्तीय स्थिति के अभाव में अपने आपको असहाय पा रही थी। इन कल्याणकारी योजनों को कियान्वित करने व इस माध्यम से जन–जन से जुड़ने के उददेश्य से पटेल शिक्षा प्रसाद ट्रस्ट की स्थापना की जाती है। इसके निमित प्रारम्भ में 21000/– (इक्कीस हजार रूपये केवल) प्रदान करता हूँ।

1) **ट्रस्ट का नाम** :

इस ट्रस्ट का नाम स्व0 श्री किशनलाल बाबूजी शिक्षा प्रसार एवं उत्थान ट्रस्ट रहेगा। इसमें प्रयुक्त ट्रस्ट से आशय स्व0 श्री किशनलाल बाबूजी शिक्षा प्रसार एवं उत्थान ट्रस्ट होगा।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CG 313035

2) **<u>ट्रस्ट का कार्यालय :</u>**

ट्रस्ट का कार्यालय वर्तमान में मौहल्ला ठाकुरान दादरी गौतमबुद्धनगर में स्थित है। आवश्यकतानुसार न्यास के कार्यालय अथवा उपकार्यालय समस्त भारत में विदेशों में कभी भी खोली जा सकते है। जो/जहाँ भी ट्रस्ट का कार्यालय है अथवा खोला जायेगा वह ट्रस्ट की सम्पत्ति न समझी जाये।

3) **<u>ट्रस्ट का उददेश्य</u>** :

1– भारतीय दर्शन एवं हिन्दु संस्कृति, समाज, कला–साहित्य आदि विषयों पर शोध करना, करवाना तथा ऐसे शोधाकर्ताओं को पुरस्कृत करना तथा छात्रवृत्ति एवं आर्थिक सहयोग देना। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में शिक्षा पा रहे मेधावी छात्र–छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु उपयुक्त सहयोग देना तथा विश्वविद्यालयों में अध्ययन करने वाले विशेष योग्यता वाले छात्र–छात्राओं के लिए शिक्षा–गोद प्रणाली के आधार पर उचित सहयोग प्रदान करना साथ ही विदेशों में उच्च शिक्षा हेतु भिजवाना। नये विद्यालय खोलना इस प्रकार ज्ञानदान की विभिन्न योजनाओं को कियान्वित करना।

2– शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना व करवाना एवं कार्यरत संस्थाओं को सहायता प्रदान करना।

3– शिक्षा एवं चिकित्सा के क्षेत्र में लोकहित में कार्य करना तथा इन कार्यो में संलग्न संस्थाओं को सहायता प्रदान करना।

4– प्राचीन एवं अर्वाचीन शिक्षा पद्धति के समन्वय पर आधारित पाठशालाओं, विद्यालयों, महाविद्यालयों, गुरूकुलों जैसी शिक्षण संस्थाओं के निर्माण विस्तार ओर विकास में सहयोग देना।

5– जन कल्याण की दृष्टि से औषद्यालयों, चिकित्सलयों, प्रसूति ग्रहों, पाठशालाओं, पुस्तकालयों, वाचनालयों, स्वाध्याय–मण्डलां, छात्रवासों आदि की स्थापना, विस्तार और विकास करना तथा ऐसे प्रयत्नों से पूर्ण सहयोग प्रदान करना।

6– असहाय, असमर्थ, बेरोजगार, निराश्रित, अपाहिज वृद्ध, अपंग, विकलांगों, विधवा बहनों इत्यादि को जीविकोपार्जन हेतु घरेलू उद्योगों तथा अन्य सहयोगी कार्यो हेतु उपयुक्त ऋण व आर्थिक सहायता देना, आवास, निवास, भोजन, सेवा सुश्रष औषधि, शिक्षा इत्यादि की व्यवस्था करना व करवाना।

7– प्राकृतिक विपदाओं के समय जन–साधारण के लिए राहत कार्य करना व सहयोग प्रदान करना।

8– समस्त प्राणीमात्र के हितार्थ कार्य करना तथा करवाना।

9– सभी धर्मो में सहिष्णुता एवं सामंजस्य का वातावरण निर्माण करना तथा उनके लिए अवसर आयोजित करना तथा उददेश्य पूर्ति हेतु कार्य करने वाली संस्था का योगदान देना।

10– ट्रस्ट के स्थायी कोष एवं संचित आय से विभिन्न चल एवं अचल सम्पत्ति निर्माण करना तथा खरीदना, बेचना, गिरवी रखना किराये पर अथवा लाईसेन्स पट्टे पर देना अथवा लेना इस प्रकार से चल एवं अचल सम्पत्ति के बारे में ऐसी कार्यवाही करना जो ट्रस्ट के हित में हो।

11– हिन्दी साहित्य दर्शन, संस्कृति, इतिहास और पुरातत्व पर शोध करने वाले छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति आदि की व्यवस्था करना–करवाना।

12– विदेशों में स्थापित प्राच्य–विद्या संस्थाओं से सम्पर्क स्थापित कर उन्हें हिन्दी साहित्य, संस्कृति, दर्शन, इतिहास और पुरातत्व से संबंधित उच्च कोटि का साहित्य सुलभ कराना और वहां अध्ययन–अध्यापन एवं शोध कार्य के साधन जुटाना तथा विद्धानों के पारस्परिक आदान–प्रदान की व्यवस्था करना।

13– ट्रस्ट के स्थायी कोष के निर्माण एवं विस्तार हेतु विभिन्न योजनाओं के माध्यम से धनराशि प्राप्त एवं एकत्रित करना।

14– उददेश्यों की पूर्ति से संबंधित अन्य कोई भी कार्य करना।

4) **ट्रस्ट की सम्पूर्ण सम्पत्ति** :

समय – समय पर उसमें होने वाली वृद्धि सहित ट्रस्ट बोर्ड में निहित रहेगी और उसके स्वत्व, प्रबन्ध तथा व्यवस्था का सम्पूर्ण अधिकार व दायित्व ट्रस्ट बोर्ड को होगा।

विभिन्न आयोजनों, अवसरों तथा माध्यमों दानदाताओं द्वारा प्राप्त होने वाली तथा इसके अलावा ट्रस्ट जो भी चाहे, अचल सम्पत्ति अर्जित अथवा निर्माण करेगा। इस कार्य हेतु प्राप्त राशि भी ट्रस्ट का स्थायी कोष माना जायेगा।

मूलधन के ब्याज या लाभ या दान अन्य प्रकार से जो भी बढ़ोत्तरी होगी वह ट्रस्ट की सम्पत्ति होगी। भविष्य में अन्य किसी प्रकार से चल–अचल सम्पत्ति चाहे वह दान के रूप में या चंदे के रूप में या आर्थिक या अन्य किसी प्रकार की सहायता के रूप में किसी व्यक्ति या संस्था या सरकार या सरकारी निगम या नगर पालिका या औद्योगिक संस्थान आदि से प्राप्त अनुदान, ग्रान्ट अथवा लोन के रूप में प्राप्त होगा। वह ट्रस्ट की आय होकर सम्पत्ति मानी जायेगी। इन सभी सम्पत्ति के सब प्रकार का अधिकार ट्रस्ट को प्राप्त होगा। अर्थात समस्त सम्पत्ति भी ट्रस्ट निर्मित की जाये। सब ट्रस्ट में वेष्ठित या निहित होगी।

5) **वित्तीय वर्ष**

वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होगा।

6) **ट्रस्ट की संचालन व्यवस्था**

1– ट्रस्ट बोर्ड के द्वारा होगी।

7) **ट्रस्ट बोर्ड की सदस्यता**

अ) पारिवारिक आजीवन ट्रस्टी 51,000 रूपये या अधिक दान देने या दिलाने वाले सदस्य पारिवारिक आजीवन ट्रस्टी रहेंगे।

ब) जीवन पर्यन्त आजीवन ट्रस्टी 1,00,000 रूपये या अधिक रूपये दान देने या दिलाने वाले सदस्य अपने जीवनकाल तक ट्रस्टी रहेंगे।

स) साधारण ट्रस्टी –वे समस्त महानुभाव जो इस ट्रस्ट को कम से कम 11000/– रूपये का दान स्थाई कोष में देंगे, ट्रस्ट के साधरण सदस्य होंगे।

8) **ट्रस्ट प्रबन्धकारिणी**

ट्रस्ट के प्रशासन तथा व्यवस्था की सुविधा एवं सहयोगार्थ एक प्रबन्धकारिणी होगी।

प्रबन्धकारिणी का गठन निम्नानुसार रहेगा।

1– ट्रस्ट के समस्त ट्रस्टीगण।

2– प्रबन्धकारिणी का कार्यकाल 5 वर्ष का रहेगा। परन्तु कोई स्थान रिक्त हो जाने पर अगले चुनाव तक उसकी पूर्ति ट्रस्टीगण द्वारा की जायेगी।

9) **ट्रस्ट सभा (साधारण सभा)**

1– धारा 7 के वर्णित सभी सदस्य ट्रस्ट सभा के सदस्य जाने जावेंगे।

2– ट्रस्ट सभा की बैठक हर 1 वर्ष में होगी। जिसमें धारा 10 के अनुसार निवृत्त ट्रस्टी का चुनाव किया जायेगा एवं द्विवार्षिक प्रतिवेदन एवं अकेक्षित आय–व्यय प्रस्तु किया जायेगा।

3– ट्रस्ट सभा का कोरम 21 सदस्यों का माना जावेगा परन्तु कोरम के अभाव में स्थगित बैठक आधे घंटे बाद उसी स्थान पर हो सकेगी। जिसमें कोरम की आवश्यकता नहीं रहेगी।

4– साधारण सभा की बैठक की लिखित सूचना कम से कम 15 दिन पूर्व की जायेगी। जिसमें समय स्थान व कार्यसूची भेजी जावेगी।

10) **ट्रस्टीगण**

अ– ट्रस्ट की धारा (7) अ, ब एवं स के सदस्यों की संख्या में वृद्धि की स्थिति में ट्रस्ट बोर्ड की संख्या उतने ही सदस्यों से स्वतः बढ़ जायेगी।

11) **ट्रस्ट बोर्ड के पदाधिकारी**

ट्रस्ट के पदाधिकारी निम्नानुसार रहेंगे। जिनका चुनाव ट्रस्ट के प्रथम बैठक में ट्रस्टियों में से किया जायेगा। जिनका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा और उनका चुनाव धारा – 7 के अन्तर्गत निर्वाचित ट्रस्टियों के पश्चात होने वाली ट्रस्ट की प्रथम बैठक में होगा।

1. अध्यक्ष।
2. महामन्त्री।
3. कोषाध्यक्ष।

12) **ट्रस्ट बोर्ड के अधिकार एवं कर्तव्य**

1– ट्रस्ट के अध्यक्ष, महामन्त्री एवं कोषाध्यक्ष तथा ट्रस्ट द्वारा नियुक्त अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कर्तव्य एवं अधिकार ट्रस्ट बोर्ड द्वारा तय किये जायेंगे।

2– ट्रस्ट के साधारण सभा तथा ट्रस्ट बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता ट्रस्ट के अध्यक्ष द्वारा की जायेगी। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में महामंत्री या किसी अन्य ट्रस्टी द्वारा साधारण सभा तथा बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता की जायेगी।

3– ट्रस्ट की सम्पूर्ण सम्पत्ति का स्वामित्व ट्रस्ट कमेटी में वेष्ठित रहेगा परन्तु कोई भी सम्पत्ति किसी ट्रस्टी की व्यक्तिगत सम्पत्ति नहीं होगी और न कोई ट्रस्टी ट्रस्ट में व्यक्तिगत लाभ प्राप्त कर सकेगा।

4– ट्रस्ट बोर्ड कार्य के संबंध में विभिन्न उननियम निर्देशन, कार्यक्रम, योजनायें तथा प्रस्ताव स्वीकृत करेगी।

5– ट्रस्ट बोर्ड को ट्रस्ट प्रावधानों के अधीन ट्रस्ट का संचालन करने प्रबन्धकारिणी की बैठक बुलाने निर्वाचन संबंधी नियम बनाने, हिसाब–खिताब रखने व ट्रस्ट के उददेश्यों की पूर्ति के लिए ट्रस्ट की

समस्त कार्यवाही करने संबंधी नियम, उपनियम निर्मित करने का एवं आवश्यकतानुसार उनमें संशोधन करने का अधिकार रहेगा।

6– ट्रस्ट बोर्ड को ट्रस्ट की सम्पत्ति विनियोजन करने का पूर्ण अधिकार होगा।

7– ट्रस्ट बोर्ड किसी भी कार्य विशेष के लिए उपसमिति निर्मित कर सकेगी व उसे अपने अधिकार दे सकेगी।

8– ट्रस्ट बोर्ड की बैठकों के लिए कम से कम 11 सदस्यों का कोरम रहेगा जिसमें पदाधिकारियों के अतिरिक्त कम से कम 3 ट्रस्टियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

9– ट्रस्ट बोर्ड द्वारा ट्रस्ट पर चलाये गये या ट्रस्ट द्वारा लगाये जाने वाले अन्य कूननी कार्यवाही आदि में पैरवी के लिए अभिभावक अथवा अभिकर्ता इत्यादि नियुक्त कर सकेगी या यह कार्यवाही करने के लिए अपने में से किसी को अधिकृत कर सकेगी। इसी प्रकार ट्रस्ट की ओर से समस्त अनुबन्धों समझौतों प्रतिवाद पत्रों तथा अन्य दस्तावेजों का निष्पादन करना तथा शरायतें तय करना आदि संबंधी कार्य करेगी या अपने में से किसी को करने हेतु अधिकृत कर सकेगी।

10– ट्रस्ट बोर्ड को अधिकार होगा कि किसी एक या अधिक शिडयूल बैंकों में ट्रस्ट के हर प्रकार खाते खोल सके तथा ऋण आदि प्राप्त कर सकें तथा उसका संचालन (आपरेट) अध्यक्ष, महामन्त्री, कोषाध्यक्ष में से किसी दो के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा।

11– ट्रस्ट बोर्ड अपने उददेश्यों तथा योजनाओं की पूर्ति के लिए अपने अधिकारों को निर्धारित सीमाओं में किसी पदाधिकारी ट्रस्टी या कर्मचारी को सौंप सकता है, बशर्ते कि वह अन्य प्रावधानों के विपरीत न हो।

12– ट्रस्ट बोर्ड द्वारा जिन अधिकारों को किसी ट्रस्टी, उपसमिति या कर्मचारी को सौपा जाता है, उन अधिकारों के मातहत या कर्मचारी को सौंपा जाता है, उन अधिकारों के मातहत किये गये कार्यो की रिपोर्ट समय – समय पर ट्रस्ट बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक है।

13– ट्रस्ट की सम्पूर्ण चल – अचल सम्पत्ति ट्रस्ट बोर्ड में निहित रहेगी ट्रस्ट बोर्ड के निर्णय द्वारा दस्तावेजों में चल – अचल सम्पत्ति आवश्यकतानुसार एक या एक से अधिक ट्रस्टियों के नाम अंकित

हो सकती है। परन्तु व्यक्ति किसी भी ट्रस्टी का सम्पत्ति पर अधिकार या हित नहीं होगा। ऐसे ट्रस्टियों के नामांकन को बदलने का अधिकार ट्रस्ट को होगा।

14– ट्रस्ट की समस्त अचल सम्पत्ति का रिकार्ड एक रजिस्टर में अंकित होना चाहिए तथा समय – समय पर की गई खरीद और बिक्री की प्रविष्टियां उस रजिस्टर में ही की जानी चाहिए।

15– ट्रस्ट की किसी भी चल – अचल सम्पत्ति की बिक्री, लीज पर देने या अन्य प्रकार से हस्तांतरित करने का अधिकार ट्रस्ट बोर्ड अपना यह अधिकार उपस्थित सदस्यों के तीन – चौथाई बहुमत से अध्यक्ष, महामन्त्री अन्य किसी पदाधिकारी या ट्रस्टी को निर्धारित सीमाओं में सौंप सकता है। इस विषय की सूचना ट्रस्ट की कार्य–सूची में अवश्य दी जानी चाहिए।

16– यदि उपरोक्त प्रावधानों को पूरा किये बिना कोई सम्पत्ति किसी व्यक्ति या ट्रस्ट से जुडे हुए किसी व्यक्ति अथवा पदाधिकारी द्वारा हस्तांतरित की जाती है या हो जाती है तो वह अवैध होगा और ट्रस्ट के लिए बन्धनकारक नहीं होगा।

17– चल – अचल सम्पत्ति की खरीद, लीज या किराये पर लेने का अधिकार ट्रस्ट बोर्ड को होगा। ट्रस्ट बोर्ड अपना यह अधिकार उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से निर्धारित सीमाओं में किसी ट्रस्टी या पदाधिकारी को सौंप सकता है।

18– आवश्यक पड़ने पर ऋण लेने का अधिकारी ट्रस्ट बोर्ड को होगा यदि किसी अचल सम्पत्ति की सिक्योरिटी पर यह ऋण प्राप्त किया जाता है तो इसके लिए उपस्थित ट्रस्टियों के तीन–चौथाई बहुमत की सहमति आवश्यक है।

19– ट्रस्ट बोर्ड को ट्रस्ट की धनराशि को निवेश करने और निवेशित सम्पत्ति को समय – समय पर बेचने या बदलने का अधिकार होगा। यह निवेश आय कर नियमों के तत्कालीन लागू प्रावधानों के अनुसार होना चाहिए।

20– किसी भी अवस्था में धनराशि किसी ट्रस्टी अथवा किसी संस्था को उधार नहीं दी जायेगी।

21– ट्रस्ट बोर्ड किसी व्यक्ति, संस्था या सरकार से नगद अथवा वस्तु के रूप में दान स्वीकार कर सकता है जो ट्रस्ट सम्पत्ति का एक भाग बन जायेगा। ट्रस्ट बोर्ड बिना कारण बताये किसी दान को अस्वीकार भी कर सकता है।

22– किसी भी प्रकार का इकरारनामा, अनुबन्ध या समझौता करने का अधिकार ट्रस्ट बोर्ड को होगा। ट्रस्ट बोर्ड की तरफ से अध्यक्ष तथा सचिव दोनों ही संयुक्त हस्ताक्षर कर निष्पादित करेंगे।

23– किसी व्यक्ति, पेढ़ी संस्था या सरकार के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करने का अधिकार ट्रस्ट बोर्ड को होगा।

24– बैंक में खाता खोलने या बन्द करने का अधिकार ट्रस्ट बोर्ड का होगा।

25– ट्रस्ट की नगद राशि राष्ट्रीयकृत बैंक के खातों में ही रखी जायेगी। परन्तु ट्रस्ट बोर्ड द्वारा निर्धारित सीमाओं तक की राशि, कोषाध्यक्ष अथवा किसी अन्य ट्रस्टी या कर्मचारी को सौंपी जा सकती है।

26– यदि किसी ट्रस्टी के नाम या उसकी अधीन ट्रस्ट की कोई भी चल – अचल सम्पत्ति हो तो सूचित किये जाने पर उसका पूरा विवरण देना तथा उसे ट्रस्ट को लौटाना उस ट्रस्टी के लिए अनिवार्य होगा।

27– कोई भी ट्रस्टी सम्पत्ति के प्रबन्ध के दौरान कोई वित्तीय लाभ स्वयं प्राप्त नहीं कर सकेगा। ट्रस्ट के हित में सम्पन्न कार्यो के दौरान हुए व्यय की प्रतिपूर्ति ट्रस्ट बोर्ड की अनुमति से ट्रस्टियों को की जा सकेगी।

28– व्यावसायिक (प्रोफेशनल) कार्य के लिए ट्रस्ट बोर्ड की अनुमति से ट्रस्टियों को उचित पारिश्रमिक दिया जा सकता है।

29– ट्रस्ट के हित के उददेश्य से किसी भी ट्रस्ट के सदभावी कार्य में यदि कोई भी हानि हो जाये और उससे ट्रस्ट बोर्ड को कोई हानि भी हो सकती है तो उसके लिए ट्रस्टी को उसकी क्षूतिपूर्ति व्यक्तिगत रूप से नहीं करनी होगी। लेकिन जानबूझकर गलत कार्यो के द्वारा यदि ट्रस्ट को हानि होती है तो उसकी क्षतिपूर्ति का दायित्व पदाधिकारी या ट्रस्टी का होगा।

30– ट्रस्ट के कर्मचारियों की नियुक्ति, सेवा में उन्नति, निलम्बन, सेवा सम्पत्ति और उनके सेवा संबंधी नियमों के निर्णय का अधिकार ट्रस्ट बोर्ड को होगा।

31– ट्रस्ट बोर्ड को कार्य विशेष के लिए उपसमितियों को गठन करने का एवं उसके संचालन हेतु नियम बनाने का अधिकार होगा। उपसमितियों के सदस्य ट्रस्ट बोर्ड के सदस्यों के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति भी हो सकेंगे।

32– ट्रस्ट बोर्ड को अपने उददेश्यों की पूर्ति के लिए या क्षेत्र की उन्नति और भले के लिए कोई भी कार्य करने का पूर्ण अधिकार होगा। बशर्ते वह ट्रस्ट के अन्य प्रावधानों के प्रतिकूल न हो।

33– ट्रस्ट की सम्पत्ति व आय – व्यय का सही हिसाब रखने अंकक्षेक की नियुक्ति करने, अंकेक्षित कराने और हर वर्ष साधारण सभा के समक्ष प्रस्तुत करने का दायित्व ट्रस्ट बोर्ड का होगा।

34– अपने उददेश्यों की पूर्ति के संबंध में दान या सहायता देने का अधिकार ट्रस्ट बोर्ड का होगा।

35– ट्रस्ट बोर्ड कार्य विशेष के लिए पॉवर ऑफ अटार्नी किसी व्यक्तिको दी जा सकती है।

36– राज्य एवं केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (कपाट) शिक्षा, विज्ञान एवं प्राद्योगिकी विभाग उर्जा आवास स्वास्थ्य, पंचायती राज, शहरी ग्रामीणी विकास रोजगार महिला एवं कल्याण विकास आदि विभागों की योजनाओं को चलाकर शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी समाप्त कराना एवं नागरिकों को स्वाबलम्बन प्रदान करना।

13) <u>**ट्रस्ट बोर्ड की बैठक**</u>

1– ट्रस्ट बोर्ड की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार होगी। ट्रस्ट बोर्ड की बैठक साधारणतया अध्यक्ष की सहमति से महामंत्री द्वारा बुलाई जायेगी।

2– ट्रस्ट बोर्ड की बैठक की सूचना साधारणतः कम से कम पन्द्रह दिन पूर्व देना आवश्यक होगा। जिसमें बैठक के स्थान, समय दिन व प्रस्तावित कार्य सूची की जानकारी दी जायेगी। किसी अत्यधिक आवश्यक परिस्थिति में अल्पावधि की सूचना देकर बैठक बुलाई जा सकती है। परन्तु किसी आकस्मिक भूल की वजह से सूचना न मिलने पर बैठक की कार्यवाही अवैध नहीं होगी।

14– **<u>ट्रस्टियों का चुनाव या ट्रस्ट बोर्ड में रिक्त स्थानों की पूर्ति</u>**

1– ट्रस्ट बोर्ड की बैठक का एक उपस्थिति रजिस्टर रहेगा तथा एक मिनिट बुक रहेगी जिसमें ट्रस्ट बोर्ड की बैठक में सम्पन्न हुई कार्यवाही अध्यक्ष की सहमति के पश्चात ट्रस्टियों को प्रसारित कर दिया जायेगी एवं अगली बैठक में सम्पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जायेगा।

2– ट्रस्ट बोर्ड के निर्णय उपस्थित सदस्यों के बहुमत में किये जायेंगे। समान मत होने पर सभापति को अतिरिक्त मत देने का अधिकार रहेगा। प्रावधानों में जहां तीन – चौथाई बहुमत का निर्देश है उन परिस्थितियों में निर्णय तदनुसार होगा। किसी भी प्रस्ताव को प्रसारण द्वारा भी तीन – चौथाई से या साधारण से (जैसा उस विषय में प्रावधान हो) पारित किया जा सकता है। मतदान एक व्यक्ति एक मत के आधार पर होगा।

जो भी व्यक्ति ट्रस्ट की सदस्यता या ट्रस्टी बनना स्वीकार करता है इसके संविधान से बंधा रहेगा और इस ट्रस्ट के संबंध में उसी के अनुरूप कार्य करेगा।

14) **<u>ट्रस्ट प्रबन्धकारिणी के अधिकार एवं कर्तव्य</u>**

1– ट्रस्ट के साधारण प्रबन्ध, व्यवस्था तथा कार्य संचालन संबंधी अधिकार प्रबन्धकारिणी को रहेगा।

2– प्रबन्धकारिणी ट्रस्ट कमेटी द्वारा स्वीकृत बजट के अनुसार समस्त कार्य करेगी।

3– प्रबन्धकारिणी विभिन्न कार्यो के सम्पादन हेतु उपसमितियों का गठन या पुर्नगठन कर सकेगी एवं उनके कर्तव्य तथा अधिकार कर सकेगी। ऐसी उपसमितियों में आवश्यक होने पर ट्रस्ट कमेटी अथवा प्रबन्धकारिणी के सदस्यों के अतिरिक्त व्यक्ति भी मनोनीत किये जा सकेंगे।

4– प्रबन्धकारिणी की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य होगी जिसमें वर्ष का अंकेक्षित हिसाब, आय व्यय तथा ट्रस्ट के कार्यो का विवरण प्रस्तुत किया जायेगा।

5– प्रबन्धकारिणी ट्रस्ट के हित में किसी भी योजना के लिए ट्रस्ट कमेटी का सुझाव दे सकेगी।

6– प्रबन्धकारिणी की बैठक की लिखित सूचना कम से कम 7 दिन पूर्व की जायेगी जिसमें समय स्थान व पूर्व की जायेगी जिसमें समय स्थान व कार्य सूची भेजी जायेगी।

Sulh

15) <u>ट्रस्टी का निष्कासन, स्थान रिक्त होना तथा उसके पद की पूर्ति</u>

1– उसकी मृत्यु हो जाने पर।

2– पागल हो जाने पर अथवा विकृतचित हो जाने पर।

3– ट्रस्टी द्वारा विदेश नागरिकता स्वीकार कर लिये जाने पर।

4– उसका त्याग पत्र स्वीकृत हो जाने पर।

5– भारतीय ट्रस्ट विधान के अनुसार ट्रस्टी रहने के अयोग्य हो जाने पर।

6– बगैर योग्य कारण ट्रस्ट बोर्ड की लगातार 4 बैठकों में अनुपस्थित रहने पर।

16– ट्रस्ट के नाम पर 21000/– रूपये नकद के अलावा कोई भी चल एवं अचल सम्पत्ति नहीं है।

16) <u>**ट्रस्ट का विघटन विलोपन**</u>

महासमिति ट्रस्ट का विलोपन इसी विषय पर बुलाई गयी ट्रस्ट सभा की विशेष बैठक में ही सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट (1869) के अन्तर्गत किया जा सकेगा। ऐसी स्थिति में महासमति ट्रस्ट की समस्त चल अचल सम्पत्ति देनदारी/लेनदारी का स्थानान्तरण समान उददेयों वाली किसी संस्था को किया जा सकेगा।

संस्थापक ने उपर वर्णित तिथि मास एवं वर्ष में निम्न साक्षियों की उपस्थिति में इस न्यास पत्र का निष्पादन किया है।

(सुभाष सिंह)
संस्थापक न्यासी

गवाह – 1 **निखिल तौगर**
पुत्र श्री सुभाष सिंह
निवासी मौहल्ला–ठाकुरान दादरी, गौतमबुद्धनगर

गवाह – 2 **योगेन्द्र सिंह**
पुत्र स्व0 श्री किशनलाल सिंह
मौहल्ला–ठाकुरान दादरी, गौतमबुद्धनगर

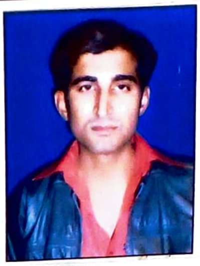

मसौदा तैयारकर्ता —

Ashok Kr. Raghuvansh
Advocate
DADRI

आज दिनांक **13/01/2015** को

वही सं. **4** जिल्द सं. **51**

पृष्ट सं. **111** से **140** पर कमांक **10**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

उप निबन्धक दादरी

दादरी

13/1/2015